

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)**  
**पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.**

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024 / 158  
 दायरा तिथि : 09.05.2024  
 आदेश तिथि : 30-09-2024  
 प्रार्थी :-

श्री निखिल राठौड पुत्र हेमाराम जाति मेघवाल, निवासी सेला तहसील बाली,  
 जिला पाली (राज.)

व न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (शुमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955.  
 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012  
 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 30-09-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 2721/550 रकबा 1.2000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 552 रकबा 0.6400 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (मुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसंरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/1436 दिनांक 27.08.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, बिसलपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

- यह है कि ग्राम बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 2721/550 रकबा 1.2000 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल भूमि प्रार्थी श्री निखिल राठौड पुत्र हेमाराम जाति मेघवाल, निवासी सेला तहसील बाली के नाम से खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।
- यह है कि ग्राम बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 552 रकबा 0.6400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज है।
- यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में खसरा नंबर 2721/550 से कटान मार्ग खसरा नंबर 553/1 की दूरी प्रस्तावित खसरा नंबर 552 में से दिये जाने पर सबसे नजदीक है। अन्य कोई नजदीकी विकल्प उपलब्ध नहीं है।
- यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2721/550 में आने जाने हेतु रास्ता राजस्व में दर्ज नहीं है।
- यह है कि ग्राम बिसलपुर में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	552	0.6400 हैक्टर	बारानी अव्वल	18x9.14=164.52 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

**सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली**



- यह कि भू.अ. निरीक्षक बिसलपुर की जांच रिपोर्टनुसार प्रस्तावित भूमि के खसरा नंबर 552 की डी.एल.सी. दर 1,79,658 रु/- रुपये प्रति हैक्टर है।
- यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण, ढाणी या पुराना वृक्ष नहीं है।

प्रकरण तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुसंरण लेखी गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की महसूस सुनी गई।

पेज लगातार.....02

//02//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2024 / 158

अनवान निखिल राठौड बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 2721/550 रकबा 1.2000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/1436 दिनांक 27.08.2024 से नया रेकर्ड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 2721/550 रकबा 1.2000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 552 रकबा 0.6400 हैक्टर में से 165 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रुपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 1.79,658 /-रुपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
552	0.6400 हैक्टर	18x09=162 वर्गमीटर	18	2916X2=5832	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 5832/- (अक्षरे पांच हजार आठ सौ बत्तीस रुपये मात्र ) रुपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जाते हैं। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



क्रमांक/कोर्ट/2024/ 2082 - 2086

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-


- 1.तहसीलदार, बाली
- 2.निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
- 3.पटवारी हल्का, बिसलपुर
- 4.तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
- 5.आवेदक श्री निखिल राठौड पुत्र हेमाराम जाति मेघवाल, निवासी सेला तहसील बाली, जिला पाली (राज.) को सूचनार्थ।

सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

दिनांक : 01. 10. 2024

सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

तहसील नम्बरा  
ग्राम - बिसलपुर  
तहसील - बाली



पार्थी की तबलेयारी  
अमर

Ex-Court

3  
सहायक कलेक्टर एवं पर्देन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

तहसीलदार, बाली

अमर सिंह चौहान  
पू. अ. निरीक्षक - बिसलपुर  
तह. बाली, जिला-पाली

पाली, तहसील : 190 बाली, RI : 1133 बिसलपुर, Halkas : 04491 बिसलपुर, गाँव : 16993

heet No : 001